

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी- मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 25/24 प्रा-पत्र

1- श्री हेमा 5/0 श्री वैक गाडरी निवारी-फोर्टी तहसील भीलवाडा

-प्रार्थी-

बनाम

1- श्री काशीराम 5/0 श्री कस्तुर गाडरी निवारी-फोर्टी तहसील भीलवाडा [वैक]
(द्वेषांकित प्रा-पत्रसम्बन्ध)

-विवादोपगत-

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक- 28.5.24

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि
ग्राम.....पीथारा.....पटवार हल्का.....पीथारा.....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की
आराजी नं० 3069/1631.....कुल कित्ता.....01.....रकबा.....0.5059.....हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि
के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता
रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 26.02.24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को
अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कायम हो
अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को ध्यान में
नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....पीथारा.....पटवार
हल्का.....पीथारा.....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं० 3069/1631
.....कुल कित्ता.....01.....रकबा.....0.5059.....हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जाँच किये
जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षण.....पीथारा.....
को 500.....रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौकूब कब्जे
की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर
पत्थरगढी नहीं की जावें।

स्वप्रखण्ड अधिकारी
माण्डल

प्रतिलिपि- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की
जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड
माण्डल